इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामाग्री केंद्र (सी-मेट)

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय)

<u>महानिदेशक के पद को भरने के लिए विज्ञापन</u>

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) महानिदेशक, सी-मेट के पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र (सी-मेट), भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक निकाय है। इसकी स्थापना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (अब इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्रालय) द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय पुणे में है। इसका उद्देश्य उद्योगों को प्रौद्योगिकी/सूचना के परिणामों के हस्तांतरण पर ध्यान देने के साथ बहुत सी इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री और प्रक्रियाओं के लिए अनुसंधान और विकास करना है। सी-मेट के नियंत्रण में तीन प्रयोगशालाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास विशेष अधिदेश हैं; क) हैदराबाद प्रयोगशाला ख) थ्रिसूर प्रयोगशाला और ग) पुणे प्रयोगशाला। सी-मेट एक रणनीतिक इकाई है जो रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा से संबंधित भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है और आयात विकल्प भी विकसित कर के देश को उपरोक्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना रही है।

महानिदेशक इस स्वायत्त निकाय (ऑटोनोमस बॉडी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और उनके पास शासी परिषद/कार्यकारी समिति के निर्णयों को लागू करने, स्वयत्त निकाय के उचित प्रबंधन के लिए रणनीति और योजनाएँ तैयार करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार हैं। महानिदेशक की सेवा संबंधी ज़िम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:-

क) महानिदेशक, शासी परिषद के मार्गदर्शन में सी-मेट के समग्र प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

ख) महानिदेशक को पेशेवर रूप में योग्य प्रौद्योगिकीविद (टेक्नोक्रेट) और प्रबंधन पेशेवरों के समूह का नेतृत्व करना होगा।

ग) महानिदेशक सोसायटी की वार्षिक आयोजना, बजट आदि तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(घ) महानिदेशक ऐसी कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो सी-मेट चार्टर में निहित हैं या शासी परिषद द्वारा उन्हें सौंपी गई हैं।

ड़) महानिदेशक शासी परिषद के सदस्य सचिव होंगे।

महानिदेशक, सी-मेट का पद वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (रु. 1,44,200/- से रु. 2,18,200/-) के वेतनमान पर आधारित है तथा इसे सीधी भर्ती/आमेलन/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर भरा जाना प्रस्तावित है। पद का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा।

<u>पात्रता मानदंड</u>

1. **<u>सीधी भर्ती के लिए</u>**

I. **<u>(क) शैक्षिक योग्यता और अनुभव</u>**

भौतिकी, रसायन विज्ञान या पदार्थ विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ योग्यता-पश्चात 25 वर्ष का कार्य अनुभव।

या

इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, दूरसंचार, रासायनिक या सामग्री इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग/टेक्नोलोजी में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता के बाद 22 वर्ष का कार्य अनुभव।

या

उपर्युक्त किसी भी क्षेत्र में पीएचडी और योग्यता के बाद 17 वर्ष का कार्य अनुभव।

(ख) आवश्यक अनुभव:

उम्मीदवार के पास वरिष्ठ प्रबंधन क्षमता में कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

II. <u>वांछनीय:</u>

उम्मीदवार के पास परियोजना प्रबंधन में व्यापक अनुभव होना चाहिए, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव सामग्री इंजीनियरिंग या उपकरण प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के प्रबंधन में होना चाहिए जिसमें नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियोंऔर अंतर्राष्ट्रीय रुझानों का अनुभव शामिल हो।

2. <u>आमेलन/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए: -</u>

आमेलन/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा भर्ती के मामले में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी, जो: -

(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए;

या

मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (1,31,100/- से 2,16,600/-) में लेवल 13 ए के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं;

और

(ii) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हों।

<u>नोट 1:</u> केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>नोट 2:</u> प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. <u>आयु सीमा:</u>

(i) सीधी भर्ती के लिए: 50 वर्ष
(ii) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए: 58 वर्ष

नोट 1: सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली आयु सीमा में छूट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगी।

नोट 2: एमईआईटीवाई के तहत स्वायत्त निकायों के सेवारत कर्मचारियों को सीधी भर्ती मोड में आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट।

नोट 3: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

4. <u>सामान्य:</u>

(i) निर्धारित प्रारूप में सभी तरह से पूर्ण आवेदन, योग्यता, अनुभव, जन्म तिथि आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ, अंतिम तिथि तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के बाद पड़ने वाला दिन होगा। इसके अलावा, आवेदन वाले लिफाफे पर "महानिदेशक, सी-मेट के पद के लिए आवेदनपत्र" लिखा होना चाहिए और इसे उप सचिव (एबीसी प्रभाग), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को संबोधित किया जाना चाहिए।

(ii) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, केंद्र शासित प्रदेश

लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए **अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिन बाद की होगी।**

(iii) जो लोग सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में काम कर रहे हैं, उन्हें अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना होगा, साथ ही पिछले पांच वर्षों की वार्षिक कार्य (गोपनीय) रिपोर्ट की फोटोकॉपी भी संलग्न करनी होगी, जो अवर सचिव या समकक्ष पद के अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। साथ ही, आवेदन के साथ सतर्कता/अनुशासनात्मक स्वीकृति भी देना होगा। अधिकारी की ईमानदारी को भी प्रमाणित किया जाना चाहिए और साथ ही यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि उस पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है। प्रायोजक/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित न किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

नोट:

(i) जो आवेदन विज्ञापन में दी गई न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होंगे और उचित प्रोफार्मा के अनुसार नहीं भरे होंगे उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ii) निर्धारित योग्यता न्यूनतम आवश्यकता है और यह उम्मीदवारों को स्वत: साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं बनाती है। जीवनवृत्त के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की छंटनी के लिए प्रारंभिक जांच (स्क्रीनिंग) की जाएगी। केवल छंटनी किए गए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने मात्र से उम्मीदवार को व्यक्तिगत बातचीत के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।

उम्मीदवार इस विज्ञापन के संबंध में आवेदन प्रपत्र और अन्य विवरणों के लिए निम्नलिखित वेबसाइटें देख सकते हैं:

www.meity.gov.in; **www.persmin.gov.in**; **www.cmet.gov.in**; और **www.ncs.gov.in**